मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

/ /अधिसूचना/ /

क्रमांक/एफ/4–82–1988–10–2/ भोपाल, दिनांक

वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 28 के साथ पठित धारा 64 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 34 (असाधारण मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 मई, 2018 द्वारा संशोधित एवं प्रकाशित) के निम्न उपनियमों को संशोधित किया जाता है।)

1. उप नियम–2 : विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत अधीन प्रवेश फीस में छूट के अंतर्गत 2(1)(घ) में वाक्यांश **(वन विहार के अतिरिक्त)** जोड़ा जाता है। संशोधन उपरांत नवीन प्रावधान निम्नानुसार होगा :–

उप नियम–2(1)(घ) **टाइगर रिजर्व के बफर जोन में और राष्ट्रीय उद्यानों (वन विहार के अतिरिक्त) एवं अभयारण्यों की 5 किलोमीटर की सीमाओं के भीतर स्थित ग्रामों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के छात्रों की प्राधिकृत अध्ययन यात्राएं अथवा ईको विकास समितियों के सदस्यों की प्राधिकृत अध्ययन यात्राएं;**

2. उप नियम–2 : **विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत अधीन प्रवेश फीस में छूट के** अंतर्गत 2(2) को निम्नानुसार से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

उप नियम–2(2) **उपनियम (1) के खण्ड (घ) के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के छात्र–छात्राओं को नियमित प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। टाइगर रिजर्व्स के कोर क्षेत्रों में यह छूट तभी दी जा सकेगी जब ऐसी प्राधिकृत अध्ययन यात्राओं की एक सप्ताह या अधिक पूर्व अनुमति ली गई हो। यह सुविधा किसी संस्थान में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को पूरे पर्यटन वर्ष, अर्थात् 1 जुलाई से 30 जून तक, के दौरान खुली अवधि में केवल एक बार एक भ्रमण हेतु दी जाएगी।**

DRAFT

3. उप नियम–3 पर्यटन प्रयोजनों हेतु क्षेत्रों का वर्गीकरण एवं प्रवेश फीस के अंतर्गत नियम–3(2)(ख) की तालिका को निम्न तालिका से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(ख) निजी अपंजीकृत वाहन से पर्यटन हेतु प्रवेश शुल्क दर, जहां प्रबंधन द्वारा ऐसे वाहन अनुज्ञत हैं।

अ.क्र.	वाहनों की श्रेणी के आधार पर अनुज्ञा पत्र का प्रकार	दरें (रकम रूपये में)
1	दोपहिया वाहन, (स्कूटर, मोटर साइकिल एवं अन्य दो पहिया मोटर वाहन अधिकतम 2 व्यक्ति)	रूपये 500
2	ऑटो रिक्शा (अधिकतम 3 व्यक्ति)	रूपये 1000
3	हल्के मोटर वाहन (अधिकतम 6 व्यक्ति)	रूपये 1500
4	बस/मिनी बस	रूपये 3000

4. उप नियम–3 : पर्यटन प्रयोजनों हेतु क्षेत्रों का वर्गीकरण एवं प्रवेश फीस के अंतर्गत नियम–3(3)(क) तालिका को निम्नानुसार तालिका से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(3) **वाहन द्वारा पार्क भ्रमण के भिन्न अन्य गतिविधियों हेतु प्रवेश फीस** (राशि रू. में)

(क) फीस तालिका

क्र.	प्रवेश का प्रयोजन	प्रति पर्यटक दर
1	पैदल/ ट्रैकिंग/ साइकिलिंग (संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए विनिर्दिष्ट मार्गों पर)	रूपये 150
2	विनिर्दिष्ट हाइड (hide)/मचान/वॉच टॉवर से वन्य प्राणी दर्शन संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किये गये स्थल में।	रूपये 300
3	कैंपिंग (केवल संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए परिसरों में)	रूपये 750

5. उप नियम–3(5) की तालिका से कॉलम क्र–5 **आजीवन शुल्क प्रति व्यक्ति को निरसित किया जाता है।**

6. **उप नियम–11 : उप नियम 5 के अंतर्गत उप नियम 5(ड.) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–**

उप नियम–5(ड.) : एडऑन सुविधा किसी सफारी दिवस हेतु बुकिंग प्रारंभ होने के 7 दिवस उपरांत जारी किये गये अनुज्ञा पत्रों पर ही उपलब्ध होगी। एडऑन सुविधा का लाभ सफारी दिवस के 30 दिवस अथवा उसके पूर्व ही लिया जा सकेगा।

7. उप नियम–7 : पर्यटन हेतु संरक्षित क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश के नियमन के अंतर्गत नियम–7(11) जोड़ा जाता है।

उप नियम–7(11) **डीजल अथवा पेट्रोल चलित वाहन जो मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करते हों, पर्यटक वाहनों के रूप में पंजीकरण किये जा सकेंगे। समस्त पर्यटक वाहन अपने मूल पंजीकरण के प्रथम वर्ष से 10 वर्षों तक की अवधि तक पर्यटन पंजीकरण हेतु पात्र होंगे। केवल पर्यटन वर्ष 2019–20 हेतु यदि वे समस्त फिटनेस मापदण्डों पर खरे उतरते हैं तो 11 वर्षों तक पंजीकरण हेतु पात्र होंगे।**

8. उप नियम–8 : फिल्मांकन/ वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी हेतु दरें के अंतर्गत उप नियम–8(5) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

उपनियम–8(5) **कैमरामेन से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से फिल्मांकन/फोटोचित्रण/ फोटोग्राफी की अनुज्ञा जारी की गई है। उसे सहायता करने के लिए एक बार में अधिकतम तीन व्यक्ति अनुज्ञात किये जा सकेंगे। कैमरामेन एवं सहयोगियों को फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुज्ञा होगी। चार व्यक्तियों की इस टीम से पृथक से कोई प्रवेश शुल्क भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।**

9. उप नियम–11 : स्थानीय गाइड/ पर्यटक सहायक के अंतर्गत नियम–11(3) की तालिका को निम्न तालिका से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(3) गाइड/पर्यटन सहायक की सेवाएं लेने हेतु निम्नांकित शुल्क देय होगा :

क्रमांक	श्रेणी	गाइड/ पर्यटक सहायक शुल्क (रू.)		
		वाहन से भ्रमण (एक राउंड)	ट्रैकिंग/साइकिलिंग (प्रतिदिन)	कैम्पिंग (दो दिन व एक रात्रि)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जी-1	रू. 600	रू. 1200	रू. 2400
2	जी-2	रू. 480	रू. 960	रू. 1920
3	पर्यटक सहायक	–	रू. 600	रू. 1200

* पचमढ़ी के समस्त पर्यटन क्षेत्रों के भ्रमण हेतु प्रशिक्षित पंजीकृत गाइडों का गाइड शुल्क रूपये 600 प्रतिदिन होगा।

10. उप नियम–11: स्थानीय गाइड/ पर्यटक सहायक के अंतर्गत उप नियम–11(4) निम्नानुसार जोड़ा जाता है :–

उप नियम–11(4) **पर्यटकों हेतु बेहतर वन्यजीव अनुभव सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र प्रशिक्षित गाइडों को पंजीकृत करेगा। जिन क्षेत्रों में धारण क्षमता निर्धारित है वहां प्रबंधन यह सुनिश्चित**

करेगा कि प्रत्येक पर्यटक अनिवार्यतः प्रशिक्षित गाइडों के साथ प्रवेश करे। प्रबंधन क्षेत्र की धारण क्षमता के डेढ़ गुना तक प्रशिक्षित गाइडों को पंजीकृत कर सकेगा। जिन क्षेत्रों में धारण क्षमता निर्धारित नहीं है तथा पर्यटकों की दैनिक संख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहता है वहां भी न्यूनतम संख्या अनुरूप गाइड पंजीकृत किये जाएंगे।

11. उप नियम–12 पर्यटन अवधि, क्षेत्र का विनियमन के अंतर्गत उप नियम–12(8) निम्नानुसार जोड़ा जाता है।

उप नियम–12(8) वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सूर्यास्त उपरांत सीमित अवधि के लिये निशाकालीन सफारी संचालित की जा सकेगी। इस हेतु प्रवेश शुल्क सहित 100 रूपये प्रति व्यक्ति अनुज्ञा शुल्क देय होगा। इस हेतु विस्तृत शर्तें संचालक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल द्वारा निर्धारित की जावेंगी।

12. उप नियम–15(11) को संशोधित किया जाता है। संशोधन उपरांत नवीन प्रावधान निम्नानुसार होंगेः–

उप नियम–15(11) टाइगर रिजर्व्स, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों एवं चिड़ियाघरों में प्रत्येक होली एवं दीपावली के शासकीय अवकाशों के अतिरिक्त बुधवार दोपहर बाद पर्यटन प्रतिबंधित रहेगा। परंतु टाइगर रिजर्व्स के बफर क्षेत्रों में पर्यटन पूरे सप्ताह जारी रखा रहेगा। आवश्यक होने पर स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संरक्षित क्षेत्रों के भारसाधक अधिकारी साप्ताहिक अवकाश का दिन/ समय मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक की अनुमति उपरांत परिवर्तित कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हरिशंकर मोहंता)
सचिव,
म.प्र. शासन, वन विभाग

DRAFT